आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

शस्त्र अपीलवाद सं0–151/2023

बृज बिहारी सिंह..अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य ....विपक्षीगण

आदेश

05.04.2024

प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 9389/2022 में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया हैं

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:–

"At the outset, the learned counsel for the petitioner seeks liberty on behalf of the petitioner to challenge the order dated 28.02.2022, passed by the Arms Magistrate, Siwan, by filing appropriate appeal. Liberty so sought, is granted.

It is needless to state that in case, appropriate appeal is filed within a period of four weeks from today, the appellate authority shall consider the same on merits, without being impeded by the issue of limitation and pass a reasoned and a speaking order, in accordance with law, forthwith.

The writ petition stands disposed off on the aforesaid terms."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय–वस्तु यह है कि बिहार पंचायत चुनाव, 2021 के मद्देनजर सिवान जिला में सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपनी अनुज्ञप्तियों एवं शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु थानावार कार्यक्रम निर्धारित करते हुए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के समक्ष शस्त्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया था। अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त अवधि में अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने के आरोप के कारण जिला शस्त्र शाखा, सिवान के आदेश ज्ञापांक 421/शस्त्र, दिनांक 28.02.2022 द्वारा उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। जिला दण्डाधिकारी, सिवान के आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 9389/2022 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्त्ता एक स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति रहे है, जिसके विरूद्ध अपने शस्त्र के दुरूपयोग से संबंधित कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं है। उनके द्वारा कहा गया कि अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने

Scanned with OKEN Scanner

में उनके द्वारा जान–बूझकर कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है, केवल समुचित सूचना के अभाव के कारण उनके द्वारा अपने शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति का ससमय सत्यापन नहीं कराया जा सका था। अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण की सूचना मिलते ही उनके द्वारा अधिकृत शस्त्र विक्रेता, 'पाली गन हाउस' में अपना शस्त्र जमा करा दिया गया है।

उक्त के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि बिहार पंचायत चुनाव, 2021 के मद्देनजर जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को अपनी अनुज्ञप्तियों एवं शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु कुल तीन चरणों यथा दिनांक 26.07.2021 से दिनांक 08.08.2021 तक, दिनांक 24.08.2021 से दिनांक 31.08.2021 तक तथा दिनांक 20.09.2021 से दिनांक 27.09.2021 तक थानावार कार्यक्रम निर्धारित करते हुए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के समक्ष शस्त्र उपस्थापित करने का निदेश थाना एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दिया गया था। अपीलकर्ता द्वारा उक्त अवधि में भी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रश्नगत आदेश द्वारा रद्द कर दी गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रश्नगत आदेश एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया। जिला दण्डाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि पंचायत चुनाव के निमित्त अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराए जाने हेतु **Arms Act, 1959** की धारा **17(1)** के तहत अपीलकर्ता को समुचित रूप से नोटिश निर्गत किया गया था अथवा नहीं। अपीलकर्त्ता को व्यक्तिगत नोटिश निर्गत करना Theory of natural justice के तहत् आता है

उपर्युक्त स्थिति के आलोक में प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद, जिला दण्डाधिकारी, सिवान को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि **Arms Act, 1959** के सुसंगत प्रावधान के आलोक में अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने का एकं समुचित अवसर प्रदान करते हुए तदनुसार आदेश पारित किया जाए।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner